



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27112021-231421
CG-DL-E-27112021-231421

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 605]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 26, 2021/अग्रहायण 5, 1943

No. 605]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 26, 2021/AGRAHAYANA 5, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान
(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीपीआर/पी/186/17/डीडी/170/टीएमसी/आईएनएफ/17-डीसी/1169/2019.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. मदाला गलिश्वरा राव (सदस्यता सं. 029893), सेवानिवृत्त कार्यकारी निदेशक, एपीएसआरटीसी, 24-3-11/201, सुमाश्री रेजीडेंसी, मेन स्ट्रीट, भीमावरम 534 202 (आंध्र प्रदेश) को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 2 के खंड (1) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. मदाला गलिश्वरा राव (सदस्यता सं. 029893) के नाम को 02 (दो) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 5,00,000/- रुपए (पांच लाख रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है। समिति ने यह भी आदेश दिया है कि यदि अधिरोपित जुर्माने की रकम तीन मास के भीतर प्राप्त नहीं होती है तो उसका नाम आगे और 02 (दो) मास की अवधि के लिए हटा दिया जाएगा। यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार अधिरोपित जुर्माना प्राप्त हो गया है। तदनुसार, इसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2)

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. मदाला गलिश्वरा राव (सदस्यता सं. 029893) का नाम, 26 नवंबर, 2021 से 02 (दो) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./469/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PPR/P/186/17/DD/170/TAMC/INF/17-DC/1169/2019.— In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Maddala Galiswara Rao (Membership No. 029893), Retired Executive Director, APSRTC, 24-3-11/201, Sumasri Residency, Main Street, BHIMAVARAM 534 202(Andhra Pradesh)**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (1) of Part II of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. Maddala Galiswara Rao (Membership No. 029893)** from the Register of Members for a period of 02(Two) months and also imposed a fine of Rs. 5,00,000/-(Rupees Five Lakhs) only. The Committee also ordered that in case the imposed fine is not received within three months, his name be removed for a further period of 02(two) months. It is noted that the fine, so imposed, has been received. Accordingly, in pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Maddala Galiswara Rao (Membership No. 029893), shall stand removed from the Register of Members for a period of 02(two) months with effect from 26th November, 2021.**

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./469/2021-22]